राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस–विज्ञप्ति

एफ .7(26)/परीक्षा–ख/AEN/2017–18/ दिनांक 13.03.2020

शासन के कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र दिनांक 23.06.2019 के अनुसार प्रक्रियाधीन भर्ती में अति पिछड़ा वर्ग (M.B.C.) का आरक्षण एक प्रतिशत से बढाकर पाँच प्रतिशत करने पर आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू किये जाने के फलस्वरूप विभाग से प्राप्त नवीन संशोधित (अधिसंख्यक) पद सम्मिलित करते हुए वर्गवार वर्गीकरण प्राप्त होने पर आयोग द्वारा शुद्धि पत्र संख्या 04/2019–20 दिनांक 18.07.2019 को जारी कर A.E.N. Exam, 2018 के पदों की प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम दिनांक 18.07.2019 को जारी किया गया है।

उक्त परीक्षा आयोजन के दौरान M.B.C. का आरक्षण एक प्रतिशत से बढ़ाकर पाँच प्रतिशत किए जाने पर M.B.C. के पदों की संख्या में वृद्वि हुई है। अतः उक्त पदों कीप्रारम्भिक परीक्षा परिणाममें O.B.C.वर्ग मेंसफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों के लिएु O.B.C. से M.B.C.. वर्ग में ऑन लाईन संशोधन हेतु एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाने बाबत् 03 दिवस के लिए ऑन लाईन संशोधन का विकल्प खोले जाने का निर्णय आयोग द्वारा लिया गया है–

क्र.सं.	परीक्षा का नाम/विज्ञापन संख्या/शुद्वि पत्र संख्या	Edit Opening Date
1.	A.E.N. Exam 2018 (PWD,WRD, PRD Deptt.) विज्ञापन संख्या–7/2018–19 दिनांक 5.4.18 एवं शुद्वि पत्र संख्या 12/2018–19 दिनांक 22.5.2018, शुद्विपत्र संख्या 4/19–20 दिनांक 18.07.2019	18.03.2020 से 20.03.2020

उक्त ऑनलाईन संशोधन के अवसर के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को निम्नांकित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखा जाना है–

1–**यह सुविधा केवल उक्त परीक्षा हेतु जारीप्रारम्भिक परीक्षा परिणाम में अपिजा वर्ग में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों के लिए ही वर्ग परिवर्तन अपिजा वर्ग से अति पिछड़ा वर्ग करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।**

2–संशोधन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाईन पोर्टल http://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल http://sso.rajasthan.gov.in से login कर Citizen Apps (G2C)में उपलब्ध Recruitment Portal को चयन कर 300 रूपये का शुल्क जमा कराते हुए ऑनलाईन संशोधन कर सकते हैं।

3– उक्त वर्णित बिन्दुं की परीक्षा में ऑफलाईन संशोधन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। उक्त परीक्षा के जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में संशोधन हेतु ऑफलाईन प्रार्थना–पत्र आयोग कार्यालय को प्रस्तुत किए हैं। उनके भी ऑफलाइन प्रार्थना पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किये गये है, वे अभ्यर्थी भी केवल ऑनलाईन संशोधन के विकल्प का ही उपयोग करें।

4– उपरोक्त ऑनलाईन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों के हितार्थ सुविधा मात्र है। उक्त संशोधन सम्बन्धित परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तो के अनुरूप ही मान्य होंगे। विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेगी।

5– उपरोक्त संशोधनों के संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर **recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in** पर ई–मेल से अथवा फोन नं.–0294–3057541 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(आशीष गुप्ता)
सचिव